–उन्नचास–

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 संख्या क0नि0–5–5595 / 11–2004–500(84)–2003 लखनऊ, दिनांक 23 नवम्बर, 2004 अधिसूचना आदेश

प0आ0-560

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973) के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उततर ्रप्रदेश अधिनियम संख्या ६ सन् १९७६) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा या कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ सन १९१६) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५९ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ सन् 1959) के अधीन गठित स्थानीय निकायों द्वारा सन् 1962 के युद्ध और उसके बाद हुए किसी युद्ध या आतंकवादियों से हुए किसी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के अधिकारिायें और जवानों के आश्रितों के पक्ष में निष्पादित विक्रय लिखत, पट्टा लिखत और पट्टाधृत अधिकारों को फ्रीहोल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से सम्बन्धित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं। स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

- (1) ''आश्रितों'' का तात्पर्य,
 - (क) पत्नी या पति (जैसी स्थिति हो)।
 - (ख) पुत्र,
 - (ग) अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री,
 - (घ) माता या पिता, से है।

परन्तु यदि प्रथम वर्ग का आश्रित उपलब्ध हो तो अन्य वर्ग के आश्रितों के आवेदन पर, ऊपर उल्लिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने के विषय में विचार नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि उपयुक्त सुविधा किसी शहीद के आश्रितों को केवल एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) भारतीय सेना मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र से आश्रित के दावे की पुष्टि की जायेगी।

आज्ञा से, ह०अस्पष्ट The Governor is pleased or order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-5595/XI-2004-500(84)-2003 dated, November 23, 2004 for general information.

No. K.N. 5-5595/XI-2004-500(84)-2003 Lucknow, Dated November 23, 2004 Notification Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh[the Governor is pleased to remit the stamp duty chargeable on instruments of sale, lease and on instruments of conversion of leasehold rights into freehold rights executed by the Development Authorities constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974 or by the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad constituted under the Uttar Pradesh Awas Evam vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966) or by an Industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) or by the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) or by Local bodies constituted under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) ou under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) in favour of dependents of such officers or Jawans of the Indian Army who martyred their lives in the War of 1962 and in any onward War or in encounter with terrorists.

Explanation: For the purposes of this notification,

- (1) "Dependents" means,
 - (a) Wife or husband (as the case may be);
 - (b) Son,
 - (c) Unmarried daughter or widowed daughter,
 - (d) mother or father,

Provided that if the dependent of the first class is available, then the application of other class of dependents shall not be considered for exemption of stamp duty chargeable on the above mentioned instruments:

Proveded further that the above facility shall be made available to the dependents of a martyr once only.

(2) A certificate issued by the Indian Army Headquarters, New Delhi shall confirm the claim of the dependents.

By order, Sd/-Ilegible SHEKHAR AGARWAL, Pramukh Sachiv.